

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

मुकदमा संख्या :- /20

के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट किसी प्रकार से आपत्ति नहीं किये जाने से एवं कुर्रजात मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू(जयपुर)